

कार्यालय सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक 4410/एसटीए/टीसी/2018

ग्वालियर दिनांक 14-09-18

:: सूचना पत्र ::

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक दिनांक 28.09.2018 को स्थान ~~कैम्प आफिस~~, 1100, ~~कार्य~~ ^{सोपान} भोपाल में 11:00 AM बजे आयोजित की गई है। इस हेतु इस संबंध में प्रकरणों के सारांश (एजेण्डा) का प्रकाशन कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर दिनांक 14.09.2018 को किया गया है।

उक्त विषय में यदि किसी आवेदक/पक्षकार को अन्य कोई जानकारी/दस्तावेज/लिखित बहस/आपत्ति अथवा आवेदन आदि प्रस्तुत करना हो, तो वे स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 22.09.2018 तक अथवा दिनांक 28.09.2018 को आयोजित बैठक में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रकरणों से संबंधित आवेदकों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु सूचनार्थ।

(अध्यक्ष राज्य परिवहन प्राधिकार के आदेशानुसार)

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार, एवं
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा)

कार्यालय सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

संशोधित पृष्ठ

नोट:-दिनांक 28.09.2018 को भोपाल में होने वाली एसटीए बैठक का एजेण्डा क्रमांक 01-जावक क्रमांक 4411 दिनांक 14.09.2018 से नेट पर प्रकाशित किया गया है। इस एजेण्डा के पृष्ठ क्रमांक 37 के स्थान पर निम्न संशोधित पृष्ठ पढा जावे।

			स्टेशन					का प्रावधान है।
			प्र.	09.12	उज्जैन	16.55		
			आ.	20.15	शैगाव	05.00	प्र.	
26	3047/एसटीए/2011 दिनांक 28.12.2011	श्री सुभाष भादाने पुत्र श्री सीताराम भादाने खरगौन म0प्र0 वाहन क्र0 एमपी 10 पी 0339 बै.क्ष. 50+2	खरगौन से धुलिया व्हाया सशेगांव, जुलवानिया, बीजासेन, सिरपुर, नरधान एक वापसी फेरा प्रतिदिन नवीन स्थाई अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा याचिका क्र. 8107/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.12.2014 के अनुक्रम में विचार।					म.प्र. एवं महाराष्ट्र राज्य के प्रचलित परिवहन करार के उपाबंध "ग" के सरल क्रमांक 23 पर अंकित होकर 01 परमिट 02 फेरे का प्रावधान है।
			स्टेशन					
			प्र.	06.30	रायपुर	18.30	आ.	
			आ.	11.30	मण्डला	13.30	प्र.	

विशेष नोट :- 1-उक्त एजेण्डे में उक्त मार्गों से संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्रों को ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के पालन में सुनवाई हेतु रखा गया है।
2-आवेदक को स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत वाहनों एवं जारी परमिटों की जानकारी के संबंध में शपथ पत्र व कर बकाया ना होने के संबंध में कर अनापत्ति प्रमाण पत्र बैठक दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3-म.प्र. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-21-2015/आठ भोपाल दिनांक 07.09.2016 के अनुसार स्थाई परमिटों हेतु निर्धारित किये गये शुल्क के अनुसार अंतर की राशि सुनवाई पूर्व दि० 28.09.2018 तक जमा कर प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4- उक्त विषय में यदि आवेदक अन्य कोई दस्तावेज/कोई अन्य वाहन या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहे तो वे दिनांक 22.09.2018 तक दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भी लेख है कि आवेदक बैठक दिनांक 28.09.2018 को भी जानकारी/दस्तावेज आदि प्रस्तुत कर सकते हैं।
5-उक्त मार्गों के प्रकाशित आवेदनों के अतिरिक्त यदि उक्त मार्गों से संबंधित किसी आवेदक का कोई पूर्व आवेदन प्रकाशन में सम्मिलित ना हुआ हो तो वो प्रमाण सहित पूर्व में प्रस्तुत आवेदन/शुल्क दस्तावेज आदि की प्रति स्वयं अथवा वैध अधिकृत प्रतिनिधि अथवा अभिभाषक के माध्यम से कर सकता है। साथ ही उक्त विषय में यदि आवेदक अन्य कोई दस्तावेज/कोई अन्य वाहन संबंधी दस्तावेज या अन्य कोई जानकारी प्रस्तुत करना चाहे तो वे बैठक दिनांक 28.09.2018 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक :- 20/9/18

सचिव

सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार,

मध्यप्रदेश 20/9/18